/

गुजरात राज्य बनाम.

कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (2021 की सिविल अपील No.7322) 11 जुलाई, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969:अनुसूची I की प्रविष्टि 25, अनुसूची II भाग A की प्रविष्टि 26 (1)-निर्धारिती द्वारा बेचा गया उत्पाद "कैडिप्रोल"-अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत पोल्ट्री फ़ीड के रूप में या अनुसूची II भाग A की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत एक दवा और दवा के रूप में वर्गीकरण-निर्धारिती ने उत्पाद को पोल्ट्री फ़ीड के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि विभाग ने कहा कि इसे दवा और दवा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि कैडिप्रोल को पोल्ट्री फ़ीड के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा-अपील पर कहा गया:उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तथ्यों की कोई विस्तृत और गहन जांच नहीं की गई थी-हालांकि मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया होगा, लेकिन चूंकि यह मुद्दा शैक्षणिक हित में है और इसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है, इसलिए सामान्य बोलचाल परीक्षण पर बड़े प्रश्न को खुला रखते हुए वर्तमान कार्यवाही बंद कर दी गई है, जिस पर एक उपयुक्त मामले में विचार किया जाना है।

/

/

/

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** यह देखा गया है कि प्रश्न कैडिप्रोल उत्पाद को **100** ग्राम के पाउच/पैकेट में बेचा गया था।यह मुर्गी को भोजन के रूप में देने के लिए नहीं था।इसे मुर्गी/पक्षियों को दिए जाने वाले भोजन के साथ मिलाया जाना आवश्यक था।इसे सीधे खिलाया और/या पक्षियों को नहीं दिया जा सकता है।इसलिए**,** राजस्व को प्रस्तुत करने में कुछ योग्यता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क से संबंधित नहीं है।इसलिए**,** आमतौर पर उक्त पृष्ठभूमि में**,** मामले को नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता।हालांकि**,** इस तरह का आदेश पारित करने का कोई झुकाव नहीं है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रश्न मुद्दा शैक्षणिक हित का है और भले ही अपील

का निर्णय राजस्व के पक्ष में किया जाए, लेकिन इसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं होगा क्योंकि कोई कर बकाया नहीं है।उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कॉमन पार्लेन्स टेस्ट पर बड़े प्रश्न को खुला रखते हुए वर्तमान कार्यवाही बंद कर दी गई है।

/

/

/

819 ए.

820 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

समान मामले में उपयुक्त मामले में विचार किया जाना।**[**पैरा **7,8] [828-**एफ**-**एच**; 829-**ए**-**बी**]**

गुजरात राज्य बनाम मेसर्स फाइजर **(**इंडिया**)** लिमिटेड**;** ग्लैक्सो लैबोरेटरीज **(**इंडिया**)** लिमिटेड बनामगुजरात राज्य **(1979) 43** एस**.** टी**.** सी**. 386 (**गुजरात**);** एस्कायेफ लिमिटेड बनाम केंद्रीय कलेक्टर

आबकारी (1990) 4 एस. सी. सी. 680:[1990] 1 पूरक।एससीआर 442;

/

ग्लिंडिया लिमिटेड बनाम.भारत संघ 1989 (22) ECC 311; राज्य

गुजरात बनाम फाइजर लिमिटेड (1991) 82 एसटीसी 374 (गुजरात); सन

निर्यात निगम बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे

(1997) 6 एससीसी 564:[1997] 1 पूरक।एससीआर 434; एम/एस।

गोल्डन स्ट्रीक ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड**,** लखनऊ बनाम आयुक्त व्यापार कर लखनऊ **2017-**टी**.** आई**.** ओ**.** एल**.-2502-**एच**.** सी**.-**ए**.** एल**.** एल**.-**सी**.** टी**.;** केंद्रीय उत्पाद शुल्क**,** कानपुर के कलेक्टर बनाम**.**

/

कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी (1989) 1 एस. सी. सी. 150:[1988]

3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 12;** प्लाजमैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर**,**

बॉम्बे (1992) 84 एसटीसी 107 (एससी):[1990] 3 पूरक।

/

एस. सी. आर. **384;** सीमा शुल्क आयुक्त **(**आयात**)** मुंबई बनाम दिलीप कुमार और कंपनी और अन्य। **(2018) 9** एससीसी **1**

:[2018] 7 एस. सी. आर. **1191-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1990] 1 पूरक।एस. सी. आर. **442** पैरा **4.7 [1997] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **434** पैरा **5.4,5.8 [1988] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **12** पैरा **5.6 [1990] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **384** पैरा **5.6 [2018] 7** एस. सी. आर. **1191** में निर्दिष्ट है।

/

पैरा **5.8** में संदर्भित

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2021 की सिविल अपील संख्या 7322।

2005 के बिक्री कर संदर्भ संख्या 4 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री कविता झा, शम्मी कपूर, सुश्री स्वाति अग्रवाल, उदित नरेश, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

821

स्टेट ऑफ गुजरात बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह**,** जे.

1. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2005 के एस. टी. आर. संख्या 4 में अहमदाबाद में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-निर्धारिती-विक्रेता के पक्ष में संदर्भ का जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा बेचे गए उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को

गुजरात बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद "जी. एस. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आने वाले "पोल्ट्री फीड" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत "दवा और दवा" के रूप में, गुजरात राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान कार्यवाही जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत बिक्री कर उपायुक्त द्वारा पारित निर्धारण आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा उपायुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि प्रश्न उत्पाद-के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल. को जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत "औषधि और औषधि" के रूप में शामिल किया जाएगा।

/

/

/

2.1 प्रत्यर्थी ने अपने दिनांक 20.03.1989 के चालान के अंतर्गत बेचे गए "KADIPROL" पर कर की दर निर्धारित करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया।प्रत्यर्थी ने सहायक आयुक्त, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया कि क्या प्रत्यर्थी को "कैडिप्रोल" उत्पाद के निर्माण के लिए औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (इसके बाद "अधिनियम, 1940" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।कि, अधिनियम, 1940 के अंतर्गत प्राधिकरण ने प्रतिवादी को सूचित किया कि अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उत्पाद "कैडिप्रोल" के निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।हालांकि, बिक्री कर उपायुक्त ने अपने दिनांक 16.04.1990 के आदेश में कहा कि प्रश्न उत्पाद में कुछ निवारक दवाएं हैं और इसलिए, जीएसटी अधिनियम की अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 26 (1) के अनुसार "दवा और दवा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। न्यायाधिकरण ने उपायुक्त के आदेश को बरकरार रखा।प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए मामले को भेजने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत एक संदर्भ आवेदन को प्राथमिकता दी।संदर्भ

/

/

/

/

/

इसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे 2005 की बिक्री कर संदर्भ संख्या 4 के रूप में गिना गया था।

2.2 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती के पक्ष में संदर्भ का जवाब दिया है और कहा है कि उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत "पोल्ट्री फीड" के रूप में शामिल किया जाएगा।

/

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 में "पोल्ट्री फीड" के रूप में शामिल किया जाएगा, गुजरात राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. अपीलार्थी-गुजरात राज्य की ओर से विद्वत वकील सुश्री आस्था मेहता और प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से विद्वत वकील सुश्री कविता झा पेश हुईं।

/

4. अपीलार्थी-गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण और उप बिक्री कर आयुक्त द्वारा दिए गए निष्कर्षों को पलटने में गंभीर त्रुटि की है, जिसमें कहा गया है कि उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को "औषधि और औषधि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के साथ-साथ उप बिक्री कर आयुक्त द्वारा दिए गए निष्कर्षों को पलटने का कोई कारण नहीं बताया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों अधिकारियों ने वास्तव में इस विषय पर विशेषज्ञ साहित्य पर विचार किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बिना कोई स्वतंत्र तर्क दिए दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक 100 ग्राम के लिए "कैडिप्रोल" की संरचना (ए) एम्पोरियम (एम्प्रोलियम) हाइड्रोक्लोराइड-25 ग्राम और (बी) विटामिन के3-250 ग्राम थी।

/

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी उत्पाद का उपयोग एम्पोरियम के एंटी-कोकोडायल गुण के कारण कोक्सीडियोसिस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". में विटामिन के की उपस्थिति ए सुनिश्चित करके रक्त के नुकसान को रोकती है।

/

823

स्टेट ऑफ गुजरात बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रोथ्रोम्बिन की पर्याप्त उपलब्धता और इस प्रकार एम्पोरियम के लिए एंटी-कॉक्सीडियल कार्रवाई की पूर्ति करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पाद उप-नैदानिक कोक्सीडियन संक्रमण को भी समाप्त करता है और रक्त के स्वास्थ्य में सुधार करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिस प्रमुख उद्देश्य के लिए उत्पाद का उपयोग मुर्गी पालन प्रश्न ने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया था, वह उप-नैदानिक कोक्सीडियन संक्रमण को समाप्त प्रश्न ना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दवा का अप्रत्यक्ष प्रभाव केवल परिणामी है और यह मुर्गी के स्वास्थ्य में सुधार या मुर्गी के विकास में मदद करने के लिए हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि यह सामग्री के मुख्य उद्देश्य, संरचना के साथ-साथ उस उद्देश्य को भी कम नहीं करता है जिसके लिए इसे प्रशासित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उत्पाद "औषधि और औषधि" के रूप अंतर्गत जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत आएगा।

/

/

4.4 राज्य की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमारी की रोकथाम या उपचार के लिए एक दवा दी जा सकती है।विशेषज्ञ साहित्य पर विचार करते हुए उप बिक्री कर आयुक्त ने विशेष रूप से कहा कि दवा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक संक्रामक बीमारी न फैले और इसे "निवारक उपाय" के रूप में मुर्गी के चारे में दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पोषण प्रमुख उद्देश्य के लिए नहीं है, तो उत्पाद 'मुर्गी चारा' नहीं हो सकता है।

/

/

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया। मेसर्स फाइजर (इंडिया) लिमिटेड ने 1980 के बिक्री कर संदर्भ No.38 में कहा कि यदि मुख्य उद्देश्य औषधीय है और पोषण नहीं है, तो अंडों के उत्पादन में कुछ अप्रत्यक्ष सहायता होने पर भी उत्पाद को "पोल्ट्री फ़ीड" नहीं कहा जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से कहा कि उत्पाद एक "गैर-पोषण योजक" है जो मौजूदा साहित्य के अनुसार "दवा" की श्रेणी में आता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स फाइजर (इंडिया) लिमिटेड के मामले में भी। (सुप्रा), उन उत्पादों में से एक जिसमें टेरामाइसिन था और जिसका उपयोग बीमारियों को रोकने या इलाज के उद्देश्य से किया जाता था, को एक "दवा" माना जाता था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स फाइजर लिमिटेड के मामले में। (सुप्रा), यह विशेष रूप से माना गया था कि उत्पाद जो करता है

/

/

/

824

/

[2022] 6 एस सी आर।

इसका कोई पोषण मूल्य नहीं है क्योंकि प्रमुख उपयोग मुर्गी का चारा नहीं हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स फाइजर (इंडिया) लिमिटेड के मामले में संदर्भ का निर्णय लेते समय। (सुप्रा), उच्च न्यायालय ने भी अपने पहले के फैसले पर विचार किया

ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम.गुजरात राज्य [(1979) 43 एसटीसी 386 (गुजरात)]।यह प्रस्तुत किया जाता है कि

/

न तो फाइजर के निर्णय और न ही उच्च न्यायालय के ग्लैक्सो के निर्णय में कहा गया है कि गैर-पोषण योजकों को "पोल्ट्री फ़ीड" माना जाएगा।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मेसर्स फाइजर (इंडिया) लिमिटेड के मामले में निर्णय पर निर्भर करता है। (सुप्रा) ने "पोल्ट्री फ़ीड" के दायरे का विस्तार किया है ताकि प्रवेश "दवा और चिकित्सा" के अर्थ को प्रतिबंधित किया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूची के अंतर्गत किसी भी प्रविष्टि की व्याख्या इतनी

व्यापक रूप से नहीं की जा सकती है कि औषधीय गुणों वाले उत्पादों को भी शामिल किया जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उत्पाद को प्रविष्टि 25 के अंतर्गत छूट देने की मांग की गई है, इसलिए "मुर्गी चारा" के लिए दिए गए अर्थ को व्यापक नहीं किया जा सकता है और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की व्याख्या विक्रेताओं को किसी भी उत्पाद को "मुर्गी चारा" के रूप में उपयोग करने के लिए अनुचित और व्यक्तिपरक शक्ति देती है जिससे उन्हें कर से छूट मिलती है।

/

/

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस्केफ लिमिटेड बनाम के मामले में।

/

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर [(1990 4 एस. सी. सी. 680], यह है

इस माननीय न्यायालय ने कहा कि कुक्कुट में "कोक्सीडियोसिस" और "हिस्टोमोनोइसिस" जैसी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद "नेफ्टिन-50 और नेफ्टिन-200" को "कुक्कुट आहार" नहीं माना जा सकता है और इसे "दवा" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि इन उत्पादों का उपयोग अंडे के उत्पादन में सुधार और ब्रॉयलर की वृद्धि दर में वृद्धि के लिए किया जा सकता है, किसी भी तरह से इस तथ्य से विचलित नहीं होगा कि उक्त उत्पाद दवा हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी, "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". का उपयोग कुक्कुट के स्वास्थ्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक परिणाम के साथ रोकथाम और उपचार के उद्देश्य से किया जाता है।4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय ों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

/

/

/

825

स्टेट ऑफ गुजरात बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न्यायालय और बिक्री कर न्यायाधिकरण के साथ-साथ उप बिक्री आयुक्त के निर्णयों को बहाल करने और यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर.

ओ. एल". को जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत "औषधि और औषधि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है न कि जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आने वाले "मुर्गी चारा" के रूप में।

/

5. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री कविता झा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

5.1 प्रत्यर्थी-विक्रेता-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री झा ने प्रस्तुत किया है कि आज की तारीख में इस मुद्दे से संबंधित प्रत्यर्थी पर कोई मौजूदा मांग नहीं है और यहां तक कि जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत सभी आकलन भी प्रत्यर्थी के संबंध में बंद हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा अकादमिक होगा।

/

5.2 गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुतियाँ देते हुए, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत "पोल्ट्री फीड" के रूप में वर्गीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा मानते हुए उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि समय के साथ "मुर्गी चारा" की अवधारणा में काफी बदलाव आया है।

/

/

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि "पोल्ट्री फ़ीड" शब्दों ने पशुधन की खेती में निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है और इसी तरह सांद्रता भी है और जबकि मुर्गी के रखरखाव के लिए फ़ीड सरलीकरण आवश्यक है, सांद्रता यानी। खाद्य पदार्थों में विटामिन मुर्गी को ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं; जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने और आवश्यक ऊतकों को बदलने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए; जिसका शरीर में लगातार टूटना होता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुर्गी के राशन को सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः(1) रखरखाव राशन, अर्थात मृत व्यक्ति का वह भाग जो मुर्गी को आराम से जीवन की आवश्यक प्रक्रियाओं को जारी रखने में सक्षम बनाता है, जैसे कि सांस लेना और रक्त का परिसंचरण, बिना वजन बढ़े या कम हुए; और (2) आपूर्ति की गई खुराक

/

/

/

वृद्धि या मोटापा बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने या अंडा देने की क्षमता बढ़ाने के लिए रखरखाव की आवश्यकता से अधिक।

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान दिनों में जब मुर्गी का रखरखाव इतना महंगा हो गया है, तो मुर्गी को गैर-उत्पादन की स्थिति में एक खेत में नहीं रखा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुर्गी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, अंडे या वसा के उत्पादन और विकास को बढ़ाने के लिए एक संतुलित मुर्गी फ़ीड की आपूर्ति करना आवश्यक है यदि मुर्गी को उसके मांस के सेवन के लिए रखा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समय के साथ, जब मुर्गी फ़ीड की अवधारणा में काफी बदलाव आया है, तो इसका मतलब पारंपरिक अर्थों में मुर्गी के लिए भोजन नहीं है।इसमें न केवल सांद्रक होते हैं, बल्कि विटामिन, खनिज और एंटीबॉडी जैसे योजक भी होते हैं, जो मुर्गी पालन आदि के बेहतर विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियों से अच्छी उपज प्राप्त करना है।उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

/

/

/

(1) ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (1979) 43 एसटीसी 386 (गुजरात)

(2) ग्लिंडिया लिमिटेड बनाम.भारत संघ 1989 (22) ईसीसी 311

/

(3) गुजरात राज्य बनाम फाइजर लिमिटेड (1991) 82 एसटीसी 374 (गुजरात)

(4) सूर्य निर्यात निगम बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे (1997) 6 एस. सी. सी. 564

/

(5) मेसर्स गोल्डन स्ट्रीक ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ बनाम। आयुक्त व्यापार कर लखनऊ 2017-टी. आई. ओ. एल.-2502-एच. सी.-ए. एल. एल.-सी. टी

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पाद "कैडिप्रोल" को "पोल्ट्री फीड" में जोड़ा जाता है ताकि विटामिन के की अच्छी कमी हो। उत्पाद "कैडिप्रोल" का उद्देश्य पक्षियों में रक्त के थक्के के समय को बढ़ाकर आंत में रक्त के नुकसान को रोकना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त उत्पाद एक आवश्यक मुर्गी चारा पूरक है और इसे ए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

/

/

827

स्टेट ऑफ गुजरात बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

“जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत पोल्ट्री फ़ीड।

5.6 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री झा द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि शुल्क अनुसूची में किसी वस्तु का अर्थ निर्धारित करने में, एक सिद्धांत जो काफी अच्छी तरह से तय किया गया है, वह यह है कि उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अर्थ में लगाया जाना चाहिए जिसमें वे व्यापारी और उपभोक्ता द्वारा व्यापार में समझे जाते हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी विशेष उत्पाद/वस्तु पर विचार करते समय, एक सामान्य बोलचाल परीक्षण लागू किया जाना चाहिए।उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया जाता है।

/

/

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर**,** कानपुर बनाम कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी **[(1989) 1** एस**.** सी**.** सी**. 150]** और प्लाजमैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर**,** बॉम्बे **[(1992) 84** एस**.** टी**.** सी**. 107 (**एस**.** सी**.):[1990]** पूरक **3** एस**.** सी**.** आर**. 384]**।

/

5.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, कुक्कुट पालन उद्योग, कुक्कुट फ़ीड जैसे "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को "दवा और दवा" के रूप में नहीं खरीदा जाता है, बल्कि वास्तव में इसे "कुक्कुट फ़ीड" के रूप में खरीदा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी भी अपने उत्पाद "कैडिप्रोल" का विपणन "औषधीय उपयोग के लिए नहीं" के रूप में कर रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सामान्य बोलचाल परीक्षण को भी

लागू करते हुए, उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". को "मुर्गी चारा" माना जाना चाहिए।

/

5.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के बाद के निर्णय में

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) मुंबई बनाम दिलीप कुमार और कंपनी और अन्य का मामला।

/

[(2018) 9 एस**.** सी**.** सी**. 1]** जिसके द्वारा इस न्यायालय ने निर्णय को खारिज कर दिया

सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे [(1997) 6 एस. सी. सी. 564] के मामले में इस न्यायालय के

जिस हद तक सन एक्सपोर्ट केस ने अभिनिर्धारित किया कि अस्पष्टता के मामले में, छूट अधिसूचना का लाभ निर्धारिती को जाना चाहिए, वह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". किसी भी छूट अधिसूचना के दायरे में शामिल था और इसलिए, अस्पष्टता के मामले में, लाभ को जाना चाहिए

/

/

उत्तरदाता।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला उत्पाद "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". के वर्गीकरण से संबंधित है जो पोल्ट्री फ़ीड सप्लीमेंट है कि क्या इसे "पोल्ट्री फ़ीड" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या "ड्रग एंड मेडिसिन" के रूप में।

5.9 प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री झा ने आगे यह प्रस्तुत किया कि गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे इसके बाद "गुजरात वैट अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत भी "पोल्ट्री फीड" की बिक्री और खरीद को गुजरात वैट अधिनियम की प्रविष्टि 48 अनुसूची I के अंतर्गत कर से छूट दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुजरात वैट अधिनियम के अंतर्गत भी, खाद्य और आहार पूरक को विशेष रूप से दवा और चिकित्सा के दायरे से बाहर रखा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार,

वही विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि प्रवेश "दवा और चिकित्सा" अपने दायरे में भोजन और आहार पूरक नहीं लाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी एक उपमा देते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि "के. ए. डी. आई. पी. आर. ओ. एल". जैसे "पोल्ट्री फ़ीड" पूरक भी जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची II की प्रविष्टि 26 (1) के अंतर्गत "दवा और चिकित्सा" के दायरे में नहीं आएंगे।

/

/

/

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

6. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को सुना।

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन करने के बाद, यह देखा जाता है कि प्रश्न उत्पाद 100 ग्राम के पाउच/पैकेट में बेचा गया था।यह मुर्गी को भोजन के रूप में देने के लिए नहीं था।इसे मुर्गी/पक्षियों को दिए जाने वाले भोजन के साथ मिलाया जाना आवश्यक था।इसे सीधे खिलाया और/या पक्षियों को नहीं दिया जा सकता है।इसलिए, राजस्व के तर्क में कुछ योग्यता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क से संबंधित नहीं है।यह केवल ग्लैक्सो के मामले में दो निर्णयों को उद्धृत करता है और उन पर निर्भर करता है।

/

/

लैबोरेटरीज **(**इंडिया**)** लिमिटेड **(**ऊपर**)** और मेसर्स फाइजर **(**इंडिया**)** लिमिटेड।

(सुप्रा) तथ्यों की विस्तृत और गहन जांच के बिना।इसलिए, आमतौर पर उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम मामले को नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय को भेज देते।लेकिन हम ए

/

इस प्रकार का आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रश्न मुद्दा शैक्षणिक हित का है और भले ही हम राजस्व के पक्ष में अपील का फैसला करते हैं, इसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं होगा क्योंकि कोई कर बकाया नहीं है।

8. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि प्रश्न मुद्दा शैक्षणिक हित में है और चूंकि कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है क्योंकि कोई कर बकाया नहीं है और इसलिए शून्य कर प्रभाव है, इसलिए हम सामान्य भाषा परीक्षण पर बड़े प्रश्न को खुला रखते हुए वर्तमान कार्यवाही को बंद कर देते हैं, ताकि इसी तरह के मामले में उचित मामले में विचार किया जा सके।

/

इसके साथ, वर्तमान अपील का निपटारा हो जाता है।

/

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/